आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

स्टाम्प अपील वाद संख्या –67/2018
सलेहा जिया
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.01.2023	यह मुद्रांक अपीलवाद सलेहा जिया, पति श्री जियाउल हक ने सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने मुद्रांक वाद संख्या 06/2015 में दिनांक 16.05.2016 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है, जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा अपीलकर्त्ता के पश्चिमी चंपारण, बेतिया जिले के रामनगर अंचलान्तर्गत मौजा रामनगर, थाना सं0–600, वार्ड संख्या 11, खाता संख्या 83, खेसरा संख्या 328/3, 332/09, 329/01 तथा खाता संख्या 84, खेसरा संख्या 393/6 में कुल रकवा 1.32 ड आवासीय श्रेणी में इनके निबंधित केवाला संख्या 1686 दिनांक 14.03.2015 में भुगताये मुद्रांक राशि में कमी पाते हुए इन्हें कमी मुद्रांक राशि 39600/– एवं उस पर जुर्माना की राशि 3960/– अर्थात् कुल 43560/– जमा किये जाने का आदेश दिया गया। अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद सं0–80/2017 दिनांक–19.04.2017 को दाखिल किया गया था। आवेदक द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ जो निम्न न्यायालय में पारित आदेश की प्रति संलग्न की गयी थी वह सत्यापित नहीं थी, जबकि अपील वाद दायर करते समय आवेदन के साथ प्रश्नगत आदेश की सत्यापित	

WEB COPY NOT OFFICIAL

अथवा सच्ची प्रतिलिपि संलग्न करना आवशयक है। अतएव दिनांक 11.08.2017 को अपीलवाद सं. 80/2017 को सक्षम साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–17681/2017 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 22.03.2018 के आलोक में यह अपीलवाद इस न्यायालय में दायर है।

अपीलकर्त्ता का दावा है कि उनके द्वारा उपस्थित दस्तावेज में प्रभावी MVR के अनुसार आवासीय श्रेणी संरचना रहित के आधार पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान कर निबंधित कराया गया। दस्तावेज में अंतरित अराजी मौजा रामनगर, थाना 600, वार्ड संख्या 11, खाता संख्या 83, खेसरा संख्या 328/3, 332/09, 329/01 तथा खाता संख्या 84, खेसरा संख्या 393/6 में कुल रकबा 1.32 डी0 है। अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज का अंचल से दाखिल–खारिज भी कराया जा चुका है। उक्त दाखिल खारिज एवं कब्जा खेसरा संख्या 329 एवं 332 से है, जबकि खेसरा संख्या 328/3 एवं 393/6 का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। खेसरा संख्या 328/3 पर मकान अवस्थित होने से संबंधित परिवाद पत्र दिया गया है, जो मेरे कब्जा में नहीं है। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में कार्यालय लिपिक से स्थल जॉच कराकर अवर निबंधक ने आवेदक के दस्तावेज को सहायक निबंधन महानिरीक्षक,तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर (निम्न न्यायालय) को रेफर कर दिया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक,तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर के वाद संख्या 06/15 में दिनांक 22.04.2016 को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही इनका दावा हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2016 आदेश पारित किया गया है, जिसकी सूचना जिला अवर निबंधक, बेतिया के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत एवं खारिज होने योग्य है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निबंधक ने महमूद अली, पिता स्व0 ताहीर हुसैन द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज के संबंध में दिए गए परिवाद पत्र के आलोक में कार्यालय स्तर से

WEB COPY NOT OFFICIAL

	स्थलीय जॉच कराया । स्थल जॉचोपरांत दस्तावेज में वर्णित खेसरा में लगभग 650 वर्गफीट में मकान पाये जाने के फलस्वरूप कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु निम्न न्यायालय को रेफर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकार को साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः दिनांक 15.06.2015, दिनांक 11.04.2016 नोटिस निर्गत किए जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय लेते हुए अवर निबंधक द्वारा भूमि के प्रस्तावित मूल्य की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत उस पर सहमत होकर भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करते हुए वाद में आदेश पारित किया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2022 को सुनवाई कर अपीलकर्त्ता के आवेदन एवं LCR में उपलब्ध अभिलेख के आलोक में पुनः कार्यपालक पदाधिकारी, रामनगर से नगर परिषद के अभिलेख एवं स्थल जॉच सहित उसके स्वामित्व से संबंधित प्रतिवेदन की मॉग की गई। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रामनगर, पश्चिम चंपारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि '' सलेहा जिया, पति श्री जियाउल हक, ने श्री एहसान अली, पिता हाफिज सैयद ताहिर हुसैन से रजिस्ट्री द्वारा खाता नं0 83, खेसरा नं0 329 एवं 332/मी. के अंश भाग से कुल 0.0.2.6 1/2 (दो धुर साढ़े छव धुरकी) जमीन खरीद की है, जिस पर उनका लगभग चार-पॉच वर्ष पूर्व पक्का दो मंजिला मकान बना हुआ है तथा उक्त मकान का होल्डिंग भी सलेहा जिया के नाम से कायम है जिसका होल्डिंग नं0 555 है। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति में स्पष्ट होता है कि अवर निबंधक एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर से किए गए स्थल जॉच में संरचना पाया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज निबंधन के क्रम में इसे छुपाया गया। यहॉ उल्लेखनीय है कि **Bihar Stamp (Prevention of undervaluation of instruments) Rules,1995** के नियम 12 के तहत दस्तावेज द्वारा अंतरित अराजी की स्थिति एवं अवस्थिति के अनुरूप मुद्रांक शुल्क देय है। इससे स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटी नहीं है। वर्णित परिस्थितियों में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अपीलवाद खारिज किया जाता है। अपीलकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि आदेश पारित किये जाने की तिथि से एक माह के अंदर प्रभार्य शुल्कादि का विहित चालान के माध्यम से जमा कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रभार्य शुल्कादित का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL